



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49310-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3096 वर्ष 2026

हाजी तस्लीम

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : आदित्य प्रसाद मिश्रा

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता ने बार में एक कथन किया है कि वह इस याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
3. विद्वान ए०जी०ए० को पूर्वोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 11, 2026

के०यू०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।